

प्रेषक,

प्र0निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

दिनांक::लखनऊ::सितम्बर 08 2017

विषय:-आगामी वित्तीय वर्ष-2018-19 के विभागीय व्ययानुमान का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में निर्देशानुसार अवगत कराना है कि आय-व्ययक कलेण्डर में आगामी वित्तीय वर्ष के विभागीय आय-व्ययक को विभागाध्यक्ष स्तर से शासन/वित्त विभाग एवं महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराने की व्यवस्था निहित है। महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या-बजट/03/45768 दिनांक 09.08.17 द्वारा तदनुसार आगामी वित्तीय वर्ष-2018-19 का विभागीय आय-व्ययक अनुमान समयान्तर्गत उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

अतः निर्देशानुसार अवगत कराना है कि आगामी वित्तीय वर्ष-2018-19 का विभागीय व्ययानुमान विवरण दिनांक 20.09.17 तक निर्धारित प्रारूपों में मुख्यालय उपलब्ध कराने की कृपा करें।

1. आगामी वित्तीय वर्ष-2018-19 के लिये नियमित व्यय सम्बन्धी सम्पूर्ण बजट प्राविधान विवरण पत्र-1 में दर्शाया जायेगा।
2. शासन के निर्देशों के अनुसार विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर की सूचना पीठवार अलग-अलग क्रमानुसार श्रेणी 'क' 'ख' 'ग' एवं घ स्तर के विद्यमान पदों की विवरणी विहित प्रारूप-2 में दर्शायी जायेगी।
3. मानक मद 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद में कार्यालय फर्नीचर के अतिरिक्त कार्यालय के प्रयोगार्थ इन्वर्टर व फोटोकापियर आदि के व्यय सम्मिलित होंगे।
4. मानक मद 07-मानदेय, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मुख्यालय के बजट से सम्बन्धित हैं। मानक मद 51-वर्दी व्यय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासनादेश के अनुरूप अनुमन्य ग्रीष्म/शीतकालीन वर्दी व्यय को नियमानुसार सम्मिलित किया जाये।
5. मानक मद 45-अवकाश यात्रा व्यय के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार वास्तव में प्रदत्त सुविधा का उपयोग करने के निमित्त ही प्राविधान किया जाये। ऐसे लोक सेवकों के नाम व पद का उल्लेख विवरण पत्र-1 के स्तम्भ "अन्युक्ति" में करते हुए सम्बन्धित के विहित आवेदन-पत्र यथासमय मुख्यालय को अलग से संदर्भित कर दिये जायें।
6. पीठ कार्यालय में समूह ग व घ के वर्तमान में रिक्त पदों के वेतन एवं भत्तों का व्ययानुमान आगामी वित्तीय वर्ष-2018-19 के व्ययानुमान में सम्मिलित न किया जाये।
7. बजट अनुमान तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि मानक मद 04-यात्रा व्यय, 08-कार्यालय व्यय, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई तथा 13-टेलीफोन पर व्यय आदि के अनुमान अधिकाधिक मितव्ययिता की दृष्टि से तैयार किये जायें, तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों को भी ध्यान में रखा जाये।
8. लोक लेखा समिति ने समय-समय पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार करते समय यह मत व्यक्त किया है कि अधिकांश मामलों में व्ययाधिक्य अथवा बचतें त्रुटिपूर्ण बजट अनुमानों के कारण होती हैं। इस मन्तव्य को विशेष रूप से दृष्टिगत रखते हुए बजट अनुमान प्रस्तावित करते समय बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों का विधिवत् अनुपालन किया जाये, तथा पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए यथार्थिक (रियलिस्टिक) अनुमान ही प्रस्तावित किये जायें ताकि व्ययाधिक्य/बचत की कम से कम सम्भावना हो।

9. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22.12.16 द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुति प्रदान की गई है, जिसके पैरा संख्या-10 में दी गई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष-2017-18 में 50 प्रतिशत का भुगतान माह अक्टूबर-17 से पूर्व न किये जाने तथा आगामी वित्तीय 2018-19 में अवशेष 50 प्रतिशत का भी आहरण माह अक्टूबर-18 से पूर्व न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष-2018-19 में होने वाले 50 प्रतिशत अवशेष का एरियर अनुमान प्रारूप के मानक मद संख्या-52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में दर्शाया जाये।

अतः निर्देशानुसार अवगत कराना है कि आगामी वित्तीय वर्ष-2018-19 का व्ययानुमान विवरण पत्र माननीय प्र0अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार तैयार करते हुए कार्यालय के वरिष्ठ सहायक (लेखा)/बजट/मुंसरिम एवं तत्पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर विधिवत् परीक्षणोपरांत संलग्न विहित प्रारूपों में विलम्बतम् **दिनांक 20.09.17** तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आगामी वित्तीय वर्ष-2018-19 का विभागीय व्ययानुमान विवरण शासन/वित्त विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जा सके।
संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीया,

(साधना त्रिपाठी)

प्रभारी निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::संख्या वा0क0अधि0/आय-व्ययक/2018-19/3231/2017 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ सहायक (लेखा), मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि वांछित विवरण नियमानुसार तैयार कर दिनांक 20.09.17 तक प्रस्तुत करें।
2. वरिष्ठ सहायक वेब अधिकारी/(नाजिर), मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि आगामी वित्तीय वर्ष-2018-19 के लिये वाणिज्यकर अधिकरण के पीठ कार्यालयों में आर0एफ0 कनेक्टिविटी एवं लीज लाईन के माध्यम से चल रहे इंटरनेट पर होने वाले व्ययानुमान का प्रस्ताव मुख्यालय के वरिष्ठ सहायक (लेखा) मुख्यालय को समयान्तर्गत उपलब्ध करायें।

(साधना त्रिपाठी)

प्रभारी निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय का नाम:-

अनुदान संख्या-89 लेखाशीर्षक-2040-बिकी, व्यापार आदि पर कर, 800-अन्य व्यय, 04-वाणिज्यकर अधिकरण का अधिष्ठान

व्यय की मानक मर्दे एवं कोड संख्या	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2016-2017	अनुमानित व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018	अनुमानित व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2018-2019	अभ्युक्ति
01- वेतन	2	3	5	6
03-मंहगाई भत्ता				
04-यात्रा व्यय				
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय				
06-अन्य भत्ते				
07-मानदेय				
08-कार्यालय व्यय				
09-विद्युत देय				
10-जलकर/जलप्रभार				
11-लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई				
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण				
13-टेलीफोन पर व्यय				
15-गार्डरूम का अनुरक्षण/पेटोल व्यय				
16-व्यावसायिक/विशेष सेवाओं के लिये भुगतान				
17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वाभित्व				
42-अन्य व्यय, मतदेय				
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा/अन्य प्रासंगिक व्यय				
45-अवकाश यात्रा व्यय				
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय				
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी का कय				
49-चिकित्सा व्यय				
51-वर्दी व्यय				
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)				
सम्पूर्ण योग				

समस्त विवरण पत्र की जाँच किया और सही पाया।

वरिष्ठ सहायक(लेखा/बजट)/प्रधान सहायक/मुन्सरिम का नाम व हस्ताक्षर

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर